

राजस्थान में महिलाओं के मानवाधिकारों का विष्लेषणत्मक अध्ययन

*¹ डॉ. सरोज नैनिवाल

*¹ सह आचार्य-समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय, गुदा, झुन्झुनू, राजस्थान, भारत।

Article Info.

E-ISSN: **2583-6528**

Impact Factor (SJIF): **6.876**

Peer Reviewed Journal

Available online:

www.alladvancejournal.com

Received: 05/Sep/2025

Accepted: 03/Oct/2025

सारांश:

मानव अपनी ही प्रजाति के अन्य लोगों को अपने प्राकृतिक अधिकारों से बंचित करता जा रहा है। समाज में महिलाओं को पुरुषों की तरह समान अधिकार प्राप्त नहीं है, जबकी विष्व की आधी आबादी महिलाओं की है। भारत सहित विष्व के विभिन्न देशों में कानून बनाये जाने के बावजूद महिलाओं के मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। उनके साथ छेड़छाड़ की धटनाएं, दहेज, बलात्कार, अपहरण, हत्या, घरेलू हिंसा, अनैतिक देह व्यापार, जन्म से पूर्व लिंग परीक्षण एवं कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, महिलाओं का अज्ञील प्रदर्शन, अपमान, अत्याचार, अन्याय आदि अपराध सामान्य हो गए हैं। विष्व में महिलाओं को समान अधिकार एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए निरन्तर प्रयास किये जाते रहे हैं, परन्तु वर्तमान में उन्हें समान अधिकार प्राप्त नहीं हो सके हैं। राजस्थान जैसे राज्य में पुरुष प्रधान व्यवस्था अब भी है, जिसमें महिलाओं पर अत्याचार होता है। इनके मानवाधिकारों का हनन अनवरत जारी है।

*Corresponding Author

डॉ. सरोज नैनिवाल

सह आचार्य-समाजशास्त्र, राजकीय

महाविद्यालय, गुदा, झुन्झुनू, राजस्थान, भारत।

मुख्य शब्द: प्राकृतिक अधिकार, दोयम दर्जा, पुरुष प्रधान, रुढ़ीवादी, महिला संरक्षण, मुख्यधारा, घरेलू हिंसा, पराधिनता आदि।

प्रस्तावना:

सम्पूर्ण विष्व आज मानवाधिकारों की रक्षा के विषय में चिंतित है। जिसका प्रमुख कारण मानव का अपने स्वाभाविक पथ से हट जाना है। मानव अपनी ही प्रजाति के अन्य लोगों को अपने प्राकृतिक अधिकारों से बंचित करता जा रहा है, जबकी जीवन के हर क्षेत्र में मानव अधिकारों का संरक्षण आवश्यकता है। मानव जाति को वह गरिमा प्राप्त होनी चाहिए, जो हर मानव का जन्म सिद्ध अधिकार है। महिला एवं पुरुष दोनों को समान रूप से अधिकार प्राप्त होने चाहिए। लेकिन समाज में महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। उन्हें पुरुषों की तरह समान अधिकार प्राप्त नहीं है, जबकी विष्व की आधी आबादी महिलाओं की है। भारत सहित विष्व के विभिन्न देशों में कानून बनाये जाने के बावजूद महिलाओं के मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। आये दिन छेड़छाड़ की धटनाएं हो रही हैं, जिन्हें सामान्य मानकर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। दहेज, बलात्कार, अपहरण, हत्या, घरेलू हिंसा, अनैतिक देह व्यापार, जन्म से पूर्व लिंग परीक्षण एवं कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, महिलाओं का अज्ञील प्रदर्शन, अपमान, अत्याचार, अन्याय आदि अपराध सामान्य हो गए हैं। विष्व में महिलाओं को समान अधिकार एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए निरन्तर प्रयास किये जाते रहे हैं, परन्तु वर्तमान में उन्हें समान अधिकार प्राप्त नहीं हो सके हैं और न ही मानवाधिकार संरक्षित हो पाये हैं। अतः पूरी दुनिया को महिलाओं के मानवाधिकारों की रक्षार्थ विषेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

भारतीय संस्कृति में नारी को एक महान शक्ति के रूप में आदर-सम्मान दिया गया है। प्राचीन काल में नारी वंदनीय एवं पूज्य थी। वैदिक काल में नारी सामाजिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्रों में पुरुष के समकक्ष थी। इस काल में नारी ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुऐ, समाज के हर क्षेत्र में अपना गौरव एवं सम्मान बढ़ाया। मध्य काल में मुगल साम्राज्य के विस्तार के साथ-साथ नारी की स्थिति बिगड़ती गई। उसका दायरा घर की चारदीवारी तक सीमित होकर रह गया। समाज की आधी शक्ति को लक्षण रेखा में बांध दिया गया। विदेशी आक्रान्ताओं से उत्पन्न स्थिति से बचने के लिए बाल विवाह, बालिका षष्ठि हत्या, पर्दाप्रिथा, सती प्रथा जैसी कुरीतियों का समावेष होता गया और ये व्यवस्थाएं समाज में रुद्ध होती चली गई। जिसके परिणामस्वरूप महिलाएं अषिक्षित रह गई और वह अपने भरण-पोषण के लिए पुरुषों पर निर्भर होती चली गई। पुरुष ने अपनी शारीरिक ताकत से न केवल अपने को श्रेष्ठ मानना शुरू कर दिया बल्कि नारी का शारीरिक एवं यौन शोषण भी करने लगा। जिससे समाज में स्त्री की स्थिति दयनीय हो गई। वह पराधीनता की जंजीरों में जकड़ती चली गई। नारी को रंग महलों की शोभा बनाया गया। नारी का सर्वाधिक शोषण इसी काल में हुआ। यह काल नारी के लिए अन्यकार का काल माना गया है।

ब्रिटिश काल में भी नारी की स्थिति दयनीय रही। उस समय सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दाप्रिथा, देवदासी प्रथा, डायन प्रथा आदि प्रचलन में थी जो महिलाओं की प्रगति में बाधक थी। आधुनिक काल में राजा

राम मोहन राय, दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, केषव चन्द्र सेन, महात्मा गांधी, डॉ. भीमराव अम्बेडकर आदि ने भारतीय नारी की दषा को समझते हुए, नारी शिक्षा एवं अन्य क्रान्तिकारी सुधार लाने के प्रयास किये।

सन् 1947 में आजादी मिलने के बाद भारत के संविधान में पुरुष व महिला को समानता के अधिकार दिये गये। महिलाओं को घरेलू मामलों, जायदाद, व्यक्तिगत सुरक्षा-संरक्षण, पंचायती राज व्यवस्थाओं में भागीदारी और तमाम हितकारी कानूनों के संरक्षण सम्बन्धी अधिकार प्राप्त हुए।

स्वतन्त्र भारत में शिक्षा के उत्तोत्तर प्रसार और विकास के क्षेत्र में अवसरों की बहुलता के साथ जीवन के विविध क्षेत्रों में स्त्रियों की भागीदारी बढ़ती गई। आर्थिक क्षेत्र में पुरुष की सहभागी होने पर भी घर की देखरेख और पालन पोषण में उसे पुरुष का अपेक्षित सहयोग नहीं मिला है। स्त्रियों ने इस विषय पर अगर बात उठानी भी चाही तो पुरुष द्वारा उसे शारीरिक प्रताड़ना दी गई। सेवा के क्षेत्र में घर से बाहर जाने वाली स्त्रियों का यौन शोषण किया गया।

समाज में लड़कों व लड़कियों में अब भी भेदभाव किया जाता है। बेटियों को जन्म से ही पराया धन माना जाता है, उन्हें बचपन के पुरे अधिकार भी नहीं दिये जाते हैं। लड़कियों को स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा से वंचित किया गया है। आज परिवारों को दहेज का डर भी रहता है, जिसके कारण कन्या भूंग हत्या करना एक साधारण सी बात हो गई है।

अतः केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर महिला कल्याण हेतु अनेक कार्यक्रम एवं योजनाएं चलाई जा रही हैं। कन्या विद्या धन व आँगनबाड़ी जैसे कार्यक्रम महिला सषक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

महिला मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई है। महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण हेतु स्वास्थ्य कल्याण मन्त्रालय द्वारा भी अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं ताकि प्रसव के दौरान मृत्यु व महिला के सामान्य स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके।

आज प्रत्येक क्षेत्र में महिला ने अपनी क्षमता साबित की है। उन्होंने पुरुषों के माने जाने वाले क्षेत्रों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है और पुरुष प्रधान व्यवसायों को बड़ी तेजी से चुना है। आधुनिक दौर की स्त्री इस बात को सही साबित करती है कि वह किसी भी मायने में पुरुष से कम नहीं है।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर: संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में महिला अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण प्रयास होते रहे हैं। विष्व में शान्ति और सहयोग स्थापित करने के लिए 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। संघ के चार्टर की प्रस्तावना में मानव पीढ़ी को युद्ध की विभिन्निका से बचाने, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने, मानव गरिमा की प्रतिष्ठा बनाये रखने तथा महिलाओं एवं पुरुषों के अधिकारों की समानता लाने की घोषणा की गई। इसके पश्चात् सन् 1948 में मानवाधिकारों के घोषणा पत्र को भी स्वीकार किया गया।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया एवं मैट्रिस्को में प्रथम विष्व सम्मेलन आयोजित किया गया। जिसमें महिला अधिकारों पर विस्तृत विचार-विर्मास किया गया।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सन् 1976 से 1985 के दशक को महिला दषक घोषित किया गया। कोपनहेगन में सन् 1980 में दूसरा विष्व महिला सम्मेलन आयोजित करते हुए महिलाओं के अधिकार एवं स्वतन्त्रता के लिए किए गये प्रयासों का मूल्यांकन किया गया। सन् 1985 में नैरोबी में तृतीय विष्व महिला सम्मेलन हुआ जिसमें महिलाओं को विकास प्रक्रिया में आवश्यक सहयोगी माना गया। सम्मेलन में मेगाकार्टा के रूप में महिलाओं के प्रति भेदभाव समाप्त करने के लिए

महत्वपूर्ण घोषणा “कनेंषन फॉर दि एलीमिनेषन ऑफ फाम्स ऑफ ऑल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन” स्वीकार की गई।

सन् 1993 में वियना में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने के लिए सम्मेलन हुआ। सन् 1995 में बीजिंग में महिलाओं का वैथा विष्व सम्मेलन हुआ जिसमें महिलाओं के अधिकारों को मानव अधिकारों के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इस सम्मेलन में यह लक्ष्य निर्धारित किया गया कि सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं का सषक्तिकरण सुनिष्चित किया जाये। भारत ने इन सभी सम्मेलनों में भाग लेकर घोषणाओं पर हस्ताक्षर किये हैं।

राष्ट्रीय स्तर: भारत का संविधान सभी नागरिकों के साथ-साथ महिलाओं को भी सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक न्याय प्रदान करता है। लैगिक आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न बरतने की बात की गई है और नारी को उसके विकास के सभी अवसर दिये गये हैं।

संविधान में महिलाओं से सम्बन्धीत प्रावधान: अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष महिला-पुरुष को समानता, अनुच्छेद 15 में मूल वंश, जाति एवं लिंग के आधार पर भेदभाव कि मनाही, अनुच्छेद 16 में लोक सेवाओं में बिना भेदभाव अवसर की समानता, अनुच्छेद 19 में समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, अनुच्छेद 21 में समान रूप से प्राण व दैहिक स्वतन्त्रता से वंचित न करना, अनुच्छेद 23-24 में महिला के क्रय-विक्रय व बेगार प्रथा पर रोक, अनुच्छेद 39(घ) में स्त्री-पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 42 में महिला प्रसूति सहायता, अनुच्छेद 47 में पोषाहार, जीवन स्तर व लोक स्वास्थ्य में सुधार करना सरकार का दायित्व एवं अनुच्छेद 243(घ) (न) में स्थानिय निकायों में 73 वें 74 वें संविधान संषोधन के माध्यम से महिला आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

महिलाओं से सम्बन्धीत अधिनियम: बागान श्रम अधिनियम 1951, कर्मचारी राज्य बीमा विनियम अधिनियम 1952, प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961, बीड़ी व सिगार कर्मकार अधिनियम 1966, ठेका श्रम अधिनियम 1970, चुना पत्तर, डोनामाइट खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम 1972, लौह मैगनीज तथा अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम 1976, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1976, अन्तर्राजियिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979, स्त्री अपिषष्ट निरूपण अधिनियम 1986, दहेज निषेध अधिनियम 1986, सती निषेध अधिनियम 1987, प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994, यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम 2005, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 आदि बनाये गये।

महिलाओं के लिए विकास योजनाएं: द्वाकरा योजना 1982, न्यू मॉडल चर्खा योजना 1987, नौराड प्रणिक्षण योजना 1989, महिला सामाज्ञा योजना 1989, मातृ एवं षषु स्वास्थ्य कार्यक्रम 1992, किषोरी बालिका योजना 1992, महिला समृद्धि योजना 1993, राष्ट्रीय महिला कोष योजना 1993, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना 1994, इन्दिरा महिला योजना 1995, ग्रामीण महिला विकास योजना 1996, राज राजेष्वरी योजना 1997, स्वास्थ्य सखी योजना 1997, बालिका समृद्धि योजना 1997, डबाकुआ योजना 1997, महिला स्वषक्ति योजना 1998, किषोरी षष्कृति योजना 2000, स्त्री षष्कृति पुरुस्कार योजना 2000, निर्भया फंड 2013, बेटी बचाओ योजना 2014, महिला मर्यादा योजना 2014, भामाषाह योजना 2014 आदि।

महिलाओं के प्रति अपराध से निपटने और उनके हितों के संरक्षण एवं सर्वधन के लिए संविधान में विषेष कानून और नीतियां बनाई गईं और उन्हें पुरुषों के समान दर्जा भी प्राप्त है। लेकिन वास्तविकता में इनकी स्थिति आज भी सोचनीय है। विवाह, तलाक, काम, सम्पत्ति में अधिकार, गुजारा भत्ता आदि के नाम पर इनके साथ भद्दा मजाक किया गया है।

राज्य स्तर: राजस्थान को वीरों की भूमि कहा जाता है। स्वतन्त्रता आन्दोलन में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, किन्तु सच्चाई यह है कि राजस्थान प्रारम्भ से ही रुढ़ीवादी प्रदेश रहा है। यहाँ रजवाड़ों एवं सामन्तों का दबदबा रहा है। महिलाओं को निरक्षर, रुढ़ीवादी और धूंधट प्रथा में रखा गया है। धूंधट प्रथा पराधिनता की साजिष है। यहाँ महिलाओं का सती होना, जौहर करना वीरता का प्रतीक माना गया जो परम्परागत संस्कारों के नाम पर महिला अधिकारों का हनन था। महिला को आर्थिक अधिकार नहीं थे तथा विधवा स्त्रियों का पूर्नविवाह नहीं किया जाता था।

राजस्थान में 1980 के दशक में अजमेर जिले के पुष्कर में प्रौढ़ विकास का अधिकारी और राजस्थान प्रौढ़ विकास का संस्थापक विद्युति के साझे प्रयास से महिलाओं के लिए एक राज्य स्तर का मंच उभर कर सामने आया। इन्हीं दिनों उदयपुर महिला समिति ने महिलाओं पर हो रही हिंसा के विरुद्ध आन्दोलन किया। जयपुर में पहली बार आषा रानी द्वारा हत्या का कड़ा विरोद्ध किया गया।

सन् 1984 में राजस्थान सरकार ने महिला विकास कार्यक्रम का आरम्भ किया। सन् 1987 में रुपकंवर का देहदहन और सन् 1992 में भटेरी गाँव में सामूहिक बलात्कार के कारण उच्चतम न्यायालय ने 3 अगस्त, 1997 को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण के विरोध में दिष्ट निर्देश जारी किये।

राज्य में महिलाओं का विकास सुनिष्ठित करने, इनको संविधान प्रदत्त अधिकारों के संरक्षण तथा विकास की मुख्यधारा में जोड़ने, महिलाओं के विकास से सम्बन्धीत विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करने, भावी योजनाओं के निर्धारण तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से सन् 1985 से निरन्तर महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यरत है।

वर्ष 2007-08 के बजट घोषणा में पृथक से 18 जून, 2007 को महिला अधिकारिता निदेशालय का गठन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के व्यक्तिक, सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। महिला अधिकारिता निदेशालय के अन्तर्गत राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर महिलाओं से सम्बन्धीत अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है।

राज्य सरकार द्वारा 23 अप्रैल, 1999 को राज्य विधान सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक के पारित होने पर 15 मई, 1999 को राज्य सरकार की अधिसूचना के आधार पर राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। जो महिलाओं के खिलाफ होने वाले अनुचित व्यवहार की जांच करने, महिला हितों को प्रभावी बनाने, महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को रोकने, महिला दषा में सुधार करने, महिला संरक्षण में उदासीनता बरतने वाले लोक सेवकों के विरुद्ध अनुषासनात्मक कार्यवाही के लिए सरकार से सिफारिष करता है।

राज्य समाज कल्याण बोर्ड, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा राज्य में परिवार परामर्श केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं जो पीड़ित महिलाओं के भावात्मक एवं कानूनी पक्षों को ध्यान में रखकर उचित परामर्श देते हैं।

शोषित एवं पीड़ित महिलाओं को सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए राज्य के समस्त जिलों में कलेक्टरों की अध्यक्षता में जिला महिला सहायता समिति कार्य कर रही है।

पारिवारिक एवं वैवाहिक विवादों के निपटारे के लिए पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत राज्य के कुछ जिलों में पारिवारिक न्यायालय स्थापित किये गये हैं। गरिब एवं असहाय महिलाओं के लिए निःशूल विधिक सहायता व्यवस्था भी कि गई है।

निष्कर्ष:

भारत में महिला पीड़ित एवं शोषित है, अषिक्षा के कारण नियम व कानूनों से भी अनभिज्ञ है। कानूनी प्रक्रिया जटिल, खर्चली और

विलम्बकारी है जिसका लाभ महिलाएं नहीं उठा पाती है। अनेक संवैधानिक प्रावधानों व सरकारी प्रयासों के बावजूद पुरुष-महिला अनुपात में निरन्तर गिरावट आयी है। कानूनी प्रतिबन्धों के बावजूद भ्रूण लिंग परीक्षण, दहेज हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं आम हो रही हैं। घरेलू हिंसा, देह व्यापार, निरक्षरता, आर्थिक निर्भरता, एच.आई.वी.एडस आदि जटिल समस्याएँ हैं।

दुनिया में महिलाओं के नाम केवल 2 प्रतिष्ठत सम्पत्ति है और 98 प्रतिष्ठत सम्पत्ति पुरुषों के नाम है। महिला संरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख, नगरपालिका अध्यक्ष आदि निर्वाचित होने के बावजूद भी बैठक की कार्यवाही पति द्वारा ही की जाती है। महिला राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोक सभा स्पीकर, विदेश सचिव, राज्यपाल, सेना अधिकारी, पर्यावरणविद्, उधोगगपति, सुई से लेकर जहाज तक बनाने वाली कम्पनियों में कार्यकारी अधिकारी, होटल में बिर्ष पदों पर कार्यरत, अन्तर्रीक्ष, सीनेमा आदि में अग्रणी हैं। परन्तु इन क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं की संख्या बहुत कम है। इसका मुख्य कारण महिलाओं की दयनीय षिक्षा व्यवस्था है। पुरुष प्रधान व्यवस्था अब भी है, जिसमें महिलाओं पर अत्याचार होता है। इनके मानवाधिकारों का हनन अनवरत जारी है।

महिलाओं को सषक्त बनाने के लिए एक आन्दोलन की आवश्यकता है। यह आन्दोलन पुरुषों के द्वारा होना चाहिए और पुरुषों को अपनी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। महिलाओं में षिक्षा का प्रसार व स्वास्थ्य में सुधार करना होगा। इसके लिए समाज के सभी वर्गों को सहयोग करना होगा। महिला अधिकारों के लिए स्वयं महिलाओं को भी संगठीत होकर आगे आने की आवश्यकता है।

संदर्भ सूची:

- अंसारी, एम. ए. (2001)-‘महिला और मानवाधिकार’, ज्योति प्रकाशन, जयपुर
- आनन्द, वी. के. (2001)-‘ह्यूमन राईट्स’, इलाहाबाद लॉ ऐजेन्सी, फरीदाबाद
- अंसारी, एम.ए. (2003)-‘नारी चेतना और अपराध’ पंचषील प्रकाशन, जयपुर
- अंसारी, एम.ए. (2003)-‘राष्ट्रीय महिला आयोग एवं भारतीय नारी’ ज्योति प्रकाशन, जयपुर
- आषे, प्रभा (1995)-‘भारतीय समाज में नारी’ क्लासिक पब्लिषिंग हाउस, जयपुर
- ब्लोरा, आशारानी (1994)-‘नारी शोषण: आईने और आयाम’, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली
- दिवान, पी. (1994)-‘वूमैन एण्ड लीगल प्रोटेक्शन’, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन, न्यू देहली
- गोयल, सुनील, गोयल, संगीता (2003)-‘भारतीय समाज में नारी’ आर.बी.एस.ए पब्लिषर्स, जयपुर
- घेड्यली, रेहाना (2008)-‘अरबन वूमेन इन कन्टमपोरेरी इण्डिया’, ए रीडर सेज, नई दिल्ली
- जोन्सन, जार्डन (1998)-‘वूमेन इन मार्डन इण्डिया’ युनिवर्सिटी प्रेस पब्लिस्ड इन साउथ फाउण्डेशन बुक, नई दिल्ली
- जैन, प्रतिभा (1996)-‘भारतीय स्त्री सांस्कृतिक संदर्भ’, रावत पब्लिकेशन, जयपुर
- नाटाणी, प्रकाश नारायण (2007)-‘भारत में कन्या भूम व्यवस्था एवं महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा’, बुक एनक्लेव, जयपुर
- झुनझुनवाला, मधु भरत (2002)-‘महिला आरक्षण’, जनवाणी प्रकाशन प्रा. लि., दिल्ली
- कपूर, प्रमिला (1976)-‘कामकाजी भारतीय नारी’ राजपाल एण्ड सन्स, नई दिल्ली
- कौशिक, आषा (2004)-‘नारी सांस्कृतिक व्यवस्था: विमर्श और यथार्थ’ पोइन्टर पब्लिषर्स, जयपुर

16. किषोर, राज (1992)-‘स्त्री पुरुषःकुछ पुनर्विचार’ वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली
17. कुमार, मनीष (2010)-‘महिला सशक्तिकरण: दषा और दिषा’ कॉलेज बुक डिपो, जयपुर
18. मलानी, इन्दिरा एण्ड उर्मिला (1978)-‘वीमेन ऑफ दा वल्ड’, विकास पब्लिषिंग हाउस, नई दिल्ली
19. मौर्य शैलेन्द्र (2007)-‘राजस्थान में महिला विकाष प्रारम्भ से आज तक’ राजस्थानी साहित्य, जोधपुर
20. नाटाणी, प्रकाष नारायण (2007)-‘भारत में कन्या भूषण हत्या एवं महिलाओं के प्रति धरेलू हिंसा’, बुक एनक्लोव, जयपुर
21. रावत, ज्ञानेन्द्र (2009)-‘औरत एक समाजसास्तीय अध्ययन’, विष्व भारती, नई दिल्ली
22. रघुवंशी, कल्पना (1983)-‘रुरल वीमेन इन राजस्थान’ कंचनजंगा पब्लिकेषन्स, जयपुर
23. शर्मा, डॉ. शिवदत्त (2006)-‘मानव अधिकार’, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मन्त्रालय, भारत सरकार
24. शर्मा, प्रज्ञा (2006)-‘महिलाओं के प्रति अपराध’ पोइन्टर पब्लिषर्स, जयपुर
25. शर्मा, संगीता, शर्मा, राजेष कुमार (2006)-‘महिला विकास एवं राजकीय योजनाएं’ रितु पब्लिकेषन्स, जयपुर
26. श्रीवास्तव, सुष्मा (2008)-‘विमेन एण्ड फेमिली वेलफेयर’, कामनवेल्थ पब्लिषर्स, नई दिल्ली
27. शर्मा, रमा एवं मिश्रा, एम. के. (2010)-‘महिलाओं के मौलिक अधिकार’ अर्जुन पब्लिषिंग हाउस, नई दिल्ली
28. शर्मा, श्रीराम (2006)-‘नारी की महानता’ युग निर्माण योजना, गायत्री तपोभूमि, मथुरा